न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या :– 48 / 2008

वादी

बाबुखॉ पुत्र श्री अब्दुल खॉ
जाति मुसलमान (साई) निवासी
ग्राम भावी तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जहूर खॉ उर्फ जहूर मोहम्मद पुत्र श्री अब्दुल खॉ जाति फकीर मुसलमान निवासी भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर फौत के कायम मुकाम :–

1/1 छोटी बानू पत्नी जहूर खॉ उर्फ जहूर मोहम्मद

1/2 शेरूशाह पुत्र जहूर खॉ उर्फ जहूर मोहम्मद

1/3 सलामशाह पुत्र जहूर खॉ उर्फ जहूर मोहम्मद

1/4 अख्तरशाह पुत्र जहूर खॉ उर्फ जहूर मोहम्मद नाबालिग जरिये कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 1/1 छोटी बानू

1/5 बाया पुत्री जहूर खॉ उर्फ जहूर मोहम्मद

1/6 शबाना पुत्री जहूर खॉ उर्फ जहूर मोहम्मद नाबालिग जरिये कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 1/1 छोटी बानू सभी जातियान फकीर मुसलमान निवासीगण ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान

2. मिसरू खॉ पुत्र अब्दुल खॉ जाति फकीर मुसलमान निवासी ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर फौत कायम मुकाम :–

2/1 मोहम्मर शरीफ पुत्र स्व. मिसरू खां उर्फ मिसरूखां

2/2 सिकन्दरशाह पुत्र स्व. मिसरू खां उर्फ मिसरूखां

2/3 जुबैदा पत्नि स्व.मिसरू खां उर्फ मिसरूखां सभी जातियान फकीर मुसलमान निवासीगण ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान

3. भवरू खॉ पुत्री अब्दुल खॉजी जातियान मुसलमान फकीर निवासीगण भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राजस्थान

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

4. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर
राजस्थान

5. सावरमल विश्नोई पुत्र ओमप्रकाश
जाति विश्नोई निवासी ग्राम लाम्बा
तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6, के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 स्वयं उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 3 स्वयं उपस्थित।
प्रतिवादी सं. 5 की ओर श्री बिरमाराम विश्नोई अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक** :– 21/04/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी जाटावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1720 रकबा 7 बीघा तथा ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1710 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1719 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 1687/5553 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। उक्त सम्पूर्ण भूमि कुल खसरा 4 कुल रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा भूमि जिसे वाद के बकाया पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व 4 के पति स्व. श्री अब्दूल पुत्र श्री नैनाजी कौम फकीर के नाम की खातेदारी कब्जासुदा भूमि थी जिनके मरणोपरान्त पक्षकारान के नाम दर्ज की गयी। पक्षकारान उनके व्यक्तिगत कानून के तहत कानूनन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ही विभाजन पर वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार बनते है एवं इसी अनुसार उन्होने वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा एवं 3/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का सयुक्त रूप से तय कर वादग्रस्त भूमि का किस्म एवं मौके की स्थिति एवं कीमत अनुसार आपसी रजाबंदी से बंट कर वादी के बंट में ग्राम भावी जाटावास भूमि खसरा नम्बर 1720 रकबा 7 बीघा भूमि बंट में दे दी तब से वादी अपनी बंट की भूमि पर अलग काबिज है। वादी अपनी खातेदारी के बंटसुदा भूमि पर सुधार कार्य करवाना हेतु ऋण प्राप्त करना चाहता है इस हेतु प्रतिवादीगण कतई सहमत नही है तथा वादी द्वारा समझाईश करने पर उन्होने वादग्रस्त भूमि में वादी के खातेदारी हकूकों को इन्कार कर दिया एवं इस कृषि वर्ष में जबरन भूमि में काश्त नही करने देने एवं वादी को जबरन बेदखल करने की धमकी दिनांक 08.05.2002 को ग्राम भावी में दी। जिस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी ने अपने खातेदारी हकूकों की सुरक्षार्थ यह वाद पेश किया है।

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम भावी जे.बी. व एस.बी. स्थित सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि कुल खसरा 4 कुल रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा के 1/5 हिस्से पर सह खातेदार घोषित किया जाकर खसरा नम्बर 1720 रकबा 7 बीघा भूमि को उसके बंट में अलग प्रदान की जावे। बंटसुदा भूमि में दखल नही करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 17.12.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया और राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित ग्राम भावी जाटावास में भूमि खसरा नम्बर 1720 रकबा 7 बीघा तथा ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1710 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1719 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 1687/5553 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा का वादी व प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर हिस्से नियमानुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेष प्रदान किया

किया जाकर भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा(हैक्ट.)
1	बाबु खां पुत्र अब्दुल खां जाति मुसलमान (फकीर) निवासी भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर	1710 1719 1687/5553	0.2430 0.4611 0.3721
		कुल 3	1.0762
2	मोहम्मद शरीफ, सिकन्दरशाह पि. मिसरू खां जुबेदा पत्नी मिसरू खां जाति मुसलमान(फकीर) निवासी भावी तहसील बिलाडा	1710/4 1720 1687/5554(पश्चिम तरफ)	0.1738 0.5663 0.3681
		कुल 3	1.1082
3	भंवरू खां पुत्र अब्दुल खां जाति मुसलमान(फकीर) निवासी भावी (बिलाडा)	1710/2 1720/1 1687/5554/1(पूर्व तरफ)	0.1738 0.5663 0.3681
		कुल 3	1.1082
4	सांवरलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति विश्नोई निवासी लाम्बा तहसील बिलाडा	1710/3	0.3236

नोटः— राजीनामा में खसरा सं. 1687/5553 का रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा है, जो खसरा सं. 1687/5554 मिलाने पर बनता है, जिसका कब्जाअनुसार बंटवाडा प्रस्तावित किया है।

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि राजीनामा स्थिति अनुसार नजरी नक्शा दिनांक 05.03.2025 के अनुसार बंट में रखी गयी। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री में वादी अधिवक्ता द्वारा ऐतराज किया जिसमें कुछ लिपिकीय त्रुटि होने के कारण आपतियों का निस्तारण कर दिया गया। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम भावी जाटावास में भूमि खसरा नम्बर 1720 रकबा 7 बीघा तथा ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1710 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1719 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 1687/5553 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा के सम्बंध में प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 05.03.2025 के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/04/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाडा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
बाबु खां		जहूर खां व अन्य

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 48/2008

निर्णय **दिनांक :–** 21/04/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 व 3 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी सं. 5 की ओर श्री बिरमा राम विश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम भावी जाटावास में भूमि खसरा नम्बर 1720 रकबा 7 बीघा तथा ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1710 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1719 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 1687/5553 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा के सम्बंध में प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 05.03.2025 के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्षा के अनुसार वादी के वाद डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।
बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस फर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा